[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय-उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं.35/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 15 सितंबर, 2017

सा.का.नि. (अ) आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) और अधिसूचना संख्या 21/217- केन्द्रीय कर, तारीख 8 अगस्त, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 997(अ) तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट करता है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :--

सारणी

क्रम संख्या	**मास**	**प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करने के लिए अंतिम तारीख**
1	अगस्त, 2017	20 सितंबर, 2017
2	सितंबर, 2017	20 अक्तूबर, 2017
3	अक्तूबर, 2017	20 नवंबर, 2017
4	नवंबर, 2017	20 दिसंबर, 2017
5	दिसंबर, 2017	20 जनवरी, 2018

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व का निर्वहन करने के लिए करों का संदाय - प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन संदेय किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का निर्वहन उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा दी गई अंतिम तारीख जिस तक उससे उक्त विवरणी

प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, से पूर्व यथास्थिति इलैक्ट्रानिक रोकड़ बही या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही के नामे खाते डालकर करेगा ।

[फाइल सं. 349/74/2017-जीएसटी (भाग)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार